UPMT010083112022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित– श्री राजीव भारती, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2828/2022
बृजगोपाल प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 221/2022, धारा 380,457,411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बल्देव, जिला मथुरा के अभियुक्त **बृजगोपाल** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अमित कुमार, निवासी मौहल्ला गुधैनियाँ गली, थाना बल्देव की किराने की दुकान शिव रतन बाजार में स्थित है। दिनांक 15.06.2022 को वादी ने अपनी दुकान ताले लगाकर समय करीब 8 बजे रात्रि बंद की थी, सुबह जब वादी दुकान खोलने आया तो उसकी दुकान के ताले टूटे हुए थे तथा गल्ले में रखे करीब बारह हजार रूपए व वादी का आधारकार्ड किसी अज्ञात ने चोरी कर लिए थे।

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की सूचना पर यह अभियोग विरूद्ध अज्ञात अंतर्गत धारा 380,457 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया, जिसमें दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आना और चोरी हुए 12 हजार रूपयों में से आवेदक/अभियुक्त से शेष बचे 8100/–रूपए व आधारकार्ड बरामद किया जाना बताया जाता है।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा सोनू उर्फ सोहनलाल पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि, आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है, उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में नहीं लगाया गया है, न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है, उसे शक के आधार पर जेल भेज दिया गया है, घटना का कोई स्वतन्त्र व चश्मदीद गवाह नहीं है, उससे एक आधारकार्ड बरामद होना बताया गया है, जबकि उससे कुछ भी बरामद नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 17.06.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5– इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान में रात में चोरी करना और आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने पर उसके कब्जे से चोरी के रूपयों में से शेष बचे 8100/–रूपए व आधारकार्ड बरामद किया जाना आक्षेपित है।

स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है, उसकी कथित गिरफ्तारी और उससे दर्शित कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी

Digitally signed by RAJEEV BHARTI
Date: 2022.08.23 18:03:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हो, ऐसा इस स्तर पर अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है।

अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त **बृजगोपाल** को दिनांक 17.06.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50,000/– (पचास हजार) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–23.08.2022

(राजीव भारती)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
आई०डी०क्रमांक–6547

अटल राम चतुर्वेदी
व्यक्तिगत सहायक